

हानिकारक या गैर-कानूनी गतिविधियों की सूचना देना, जो विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी हो सकती हैं

नोट: यह सामान्य जानकारी है। यह सिर्फ आपकी समझ के लिए है और यह कानूनी सलाह नहीं है।
विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए, किसी सुयोग्य कानूनी पेशेवर से बात करें।

विदेशी देशों के लोगों द्वारा विदेशी हस्तक्षेप के तौर पर की गई कुछ हानिकारक गतिविधियां, न्यूजीलैंड के कानून के अंतर्गत पहले से ही अपराध घोषित हैं।

अगर ये गतिविधियाँ हो रही हों, या इनके होने की संभावना हो, तो इनकी सूचना न्यूजीलैंड पुलिस (एनजेड पुलिस) को देनी चाहिए या क्राइम स्टॉपर्स न्यूजीलैंड (क्राइम स्टॉपर्स) के माध्यम से अनाम रूप से करनी चाहिए।

यह प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह गतिविधि किसी विदेशी देश से संबंधित है या यह विदेशी हस्तक्षेप है, क्योंकि हो सकता है कि वह गतिविधि **अपने आप में पहले से ही एक अपराध हो।**

अगर गतिविधि का मूल अज्ञात है, या इसमें किसी विदेशी देश का शामिल होना अज्ञात है, तो भी एनजेड पुलिस या क्राइम स्टॉपर्स को रिपोर्ट की जा सकती है। एनजेड पुलिस स्थिति का आकलन करेगी और तय करेगी कि आगे कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत है या नहीं।

इन गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:

- डराना और धमकाना
- ब्लैकमेल (भयादोहन)
- पीछा करना
- उत्पीड़न
- हमला और संबंधित हिंसा
- साइबर अपराध जैसे कि हैकिंग और अनधिकृत पहुँच
- हानिकारक डिजिटल संचार (उदाहरण के लिए ईमेल, सोशल मीडिया सामग्री, या ऑनलाइन कम्युनिटी फोरम पर पोस्ट) जो हानि पहुंचाने के इरादे से हो, वह आपराधिक दोष हो सकता है।
[हानिकारक डिजिटल संचार के बारे में न्यूजीलैंड पुलिस की वेबसाइट पर अधिक जानें](#)

एनजेड पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना

अगर यह आपातस्थिति है और वर्तमान में ऐसा हो रहा है, तो 111 पर कॉल करें और एनजेड पुलिस को बुलाएं।

अगर यह आपातस्थिति नहीं है, तो आप एनजेड पुलिस से इस तरह संपर्क कर सकते हैं:

- [105 ऑनलाइन फॉर्म](#) का उपयोग करके
- किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन से [105](#) पर कॉल करके, यह सेवा नि: शुल्क है और पूरे देश में 24/7 उपलब्ध है।

एनजेड पुलिस को आपकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने और आपसे फॉलो-अप करने में सहायता के लिए 105 फॉर्म में आपकी कुछ निजी जानकारी मांगी जाती है। एनजेड पुलिस इस जानकारी का उपयोग केवल अनुमत प्रयोजनों के लिए करती है।

क्राइम स्टॉपर्स को अनाम रूप से रिपोर्ट करना

आप क्राइम स्टॉपर्स न्यूजीलैंड के माध्यम से अनाम रूप से जानकारी साझा कर सकते हैं।

क्राइम स्टॉपर्स एक स्वतंत्र परोपकारी संस्था है जो इमिग्रेशन, कस्टम और एनजेड पुलिस आदि प्राधिकारियों को अपराध या अन्य गंभीर समस्याओं की रिपोर्ट करने का एक सुरक्षित और आसान तरीका प्रदान करती है।

न्यूजीलैंड में किसी संभावित विदेशी हस्तक्षेप के बारे में जानकारी इसमें शामिल है।

आप [ऑनलाइन फॉर्म](#) का उपयोग करके अनाम रिपोर्ट कर सकते हैं, या क्राइम स्टॉपर्स को 0800 555 111 पर कॉल करके (या विदेश में होने पर +64 9 927 3971 पर) किसी से बात कर सकते हैं।

आपकी पहचान, प्राधिकारियों के साथ साझा नहीं की जाएगी।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हालाँकि एक अनाम रिपोर्ट एनजेड पुलिस को ज़रूरी जानकारी दे सकती है, लेकिन यह एनजेड पुलिस को औपचारिक जांच करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं भी दे सकती है, और इसे औपचारिक शिकायत नहीं माना जाएगा।

विदेशी रिश्वत लेन-देन की रिपोर्टिंग

विदेशी रिश्वत लेन-देन तब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यवसाय, किसी विदेशी सरकारी अधिकारी को उनके प्राधिकृत कर्तव्यों के संबंध में प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति को रिश्वत प्रस्तावित करता है, देता है, या वादा करता है।

विदेशी रिश्वत लेन-देन तब भी होता है जब न्यूजीलैंड में सरकारी अधिकारियों को विदेशी व्यक्तियों द्वारा रिश्वत प्रस्तावित की जाती है, दी जाती है या ऐसा वादा किया जाता है। विदेशी देश या उनके प्रॉक्सी, विदेशी हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी रिश्वत लेन-देन का उपयोग कर सकते हैं।

विदेशी रिश्वत लेन-देन का संदेह होने पर आप [सीरियस फ्रॉड ऑफिस](#) के अनाम सूचना टूल: [रिपोर्ट फॉरेन ब्राइबरी - सीरियस फ्रॉड ऑफिस न्यूजीलैंड](#) के ज़रिए गोपनीय ढंग से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।